फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : रईस खां **बनाम** **विपक्षी : पुरा डांगी**

किस्म मुकदमा – आदेश 9 नियम 13 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 108/21**

जीसीएमएस नम्बर : 2021/486

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.02.2025 :– पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उपस्थित उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन व मनन किया। व्याख्या से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधानो का प्रकरण मे अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवदेन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

[परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस कारण अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।] 197[अधिनियम संख्या 104 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundir
Date: 2025.07.14 11:37:37 IST
Reason: SelfAttested

59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

[स्पष्टीकरण —— जहाँ इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार पर से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहाँ उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा ।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

इस प्रकरण में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी द्वारा जिस वाद संख्या 59/12 में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 को चुनौती दी गई है, उस वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की तामील रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाई गई थी। आदेशिका दिनांक 22.06.2012 रजिस्टर्ड एडी तामील को एक माह होने के पश्चात एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र 12.06.2015 के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध दिनांक 13.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा लगभग 6 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें अंकित किया गया है कि इस मामले की सूचना हम प्रार्थीगण को नही मिलने से नियत पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। यदि प्रार्थना प्रस्तुत करने में हुई देरी के बिन्दू पर हमारे विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही के आदेश को अपास्त नही किया जायेगा तो हमारे जायज हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परन्तु देरी से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नही बताया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सर्वप्रथम प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम में उक्त प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का उचित कारण बताना चाहिए था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई उचित कारण साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की देरी की अवधि को कण्डोन किया जा सके। प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल हेतु रजिस्टर्ड डाक से समन जारी किये गये। तामिल होते ही प्रार्थीगण को अपने प्रकरण के प्रति सजग रहना चाहिए था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जारी एकपक्षीय डिक्री की अपील नहीं की गई। इस पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा यह [illegible] लगाया गया कि तामिल में अनियमितता की गई। परन्तु इस संबध में [illegible] ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:37 IST
Reason: SelfAttested

किया जिससे यह प्रतित होता हो कि तामिल में अनियमितता हुई हो।

न्यायिक दृष्टांत बसन्त सिंह बनाम रोमन कैथोलिक मिशन ए.आई. आर. 2002 पेज नम्बर 3557 जिसमें बताया कि एकपक्षीय डिक्री अपास्त किया जाने का आधार प्रतिस्थापित तामिल में की गई अनियमिता नहीं हो सकती है। न्यायिक दृष्टांत प्रेमदेवी बनाम नाथू 2016(1) आरआरटी 280 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 9, नियम 13–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 230–विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री अपास्त की–यह साबित करने हेतु प्रोसेस सर्वर व गवाहान को परीक्षित करने में असफल रहा कि वह इन्दौर निवास कर रहा था और उस पर नोटिस तामील नहीं हुआ–वाद में उल्लेखित अप्रार्थी का पता और प्रार्थना–पत्र में समान है–नोटिस की तामील में अनियमितता के आधार पर डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती–निर्णीत, विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। (पैरा 7)

प्रकरण में इस स्थिति में दो तथ्य स्पष्ट होते है कि प्रथम प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र लगभग 6 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में कोई उचित कारण नही बताया। द्वितीय साथ ही न्यायालय सम्मन विधिवत रूप से रजिस्टर्ड एडी के प्रार्थीगण को प्रेषित किए गए थे। इस प्रकार प्रार्थीगण देरी की अवधि एवं तामिल का खंडन हेतु पर्याप्त साक्ष्य व परिस्थिति प्रस्तुत करने के भार को साबित करने में असफल रहे। साथ ही न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तामिलों में अनियमितता के कारण डिक्री निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण निर्णय एवं डिक्री की नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर खारिज योग्य पाया जाता है।

: : आदेश : :

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Si[illegible]
Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:37 IST
Reason: SelfAttested